न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम (म.प्र.)
–: समक्ष – श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया :–

Registration No.	RCT- **244/2022**
Filing No.	RCT- **1049/2022**
CNR No.	MP0501-**001359-2022**
Date of Filing	**31-03-2022**

प्रभारी अधिकारी टाईगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के वन अपराध क्र. **237/03** अंतर्गत धारा–9, 39, 44, 48ए, 49बी, 51, 52 वन्य प्राणी (सरंक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा– संशोधित, 2006) से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।

// नि र्ण य //
(आज दिनांक **24/01/2023** को घोषित)
[RCT Case No. 244/2022]

अभियोजन	प्रभारी अधिकारी टाईगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम, जिला–नर्मदापुरम(म.प्र.)
अभियोजन द्वारा	**श्री अखिलेश गंगारे,** एडीपीओ.
अभियुक्तगण	**(1) बागरूनाथ आत्मज प्यारानाथ उम्र करीब 59 वर्ष, निवासी ग्राम कांकरखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म0प्र0)** **(2) मोहर सिंह आत्मज काशीराम नाथ, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम सेमराखुर्द, तहसील आरोन, जिला गुना (म0प्र0)**
अभियुक्त बागरूनाथ द्वारा **अभियुक्त मोहर सिंह द्वारा**	**श्री अरविंद खंडेलवाल** अधिवक्ता। **श्री बी.के. शर्मा** अधिवक्ता।

24/01/2023
श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

अपराध की तारीख	04.02.2012
पी.आर.ओ. की तारीख	04.02.2012
अभियोग पत्र की तारीख	31.03.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	03.08.2022
आरोप पूर्व साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख	10.05.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	17.01.2023
निर्णय की तारीख	24.01.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	**कंडिका–52 अनुसार**

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप हैं	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डोदश	धारा 428 दप्रसं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	**बागरू नाथ**	**05.02.22**	**अभिरक्षा में निरंतर**	धारा **9/51, 44, 49, 48ए** वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	**दोषसिद्ध**	**कंडिका 52 के अनसार**	**352 दिवस**
2	**मोहर सिंह**	**05.02.22**	**अभिरक्षा में निरंतर**	–तदैव–	**दोषसिद्ध**	**कंडिका 52 के**	**352 दिवस**

Cont. Page No. 2

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
24/01/2023

						अनसार	

अभियोजन के साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	दिलीप सिंह पटेलिया	समस्त कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.2	प्रदीप यादव	वन विभाग के फोर्स दल में साक्षी
अ.सा.3	रवि शर्मा	हमराह साक्षी
अ.सा.4	जितेन्द्र बंसल	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.5	राजू सिंह राजपूत	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.6	मुकेश कुमार पटेल	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.7	संदेश माहेश्वरी	वन विभाग के साक्षी
अ.सा.8	डॉ0 गुरूदत्त शर्मा	वन विभाग के साक्षी

बचाव साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ब.सा.1	निरंक	निरंक

अभियोजन प्रदर्शों की सूची–

सरल क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी–1 / अ.सा.1 / 10.05.2022	जप्ती पत्रक
2	प्र.पी–2 / अ.सा.1 / 10.05.2022	जप्ती पत्रक
3	प्र.पी–3 / अ.सा.1 / 10.05.2022	पंचनामा
4	प्र.पी–4 / अ.सा.1 / 10.05.2022	नजरी नक्शा
5	प्र.पी–5 / अ.सा.1 / 10.05.2022	मानचित्र
6	प्र.पी–6 / अ.सा.1 / 10.05.2022	पी.ओ.आर.

Cont. Page No. 3

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

7	प्र.पी–7 / अ.सा.1 / 10.05.2022	पंचनामा
8	प्र.पी–8 / अ.सा.1 / 10.05.2022	जामा तलाशी पंचनामा
9	प्र.पी–9 / अ.सा.1 / 10.05.2022	जप्ती पत्रक
10	प्र.पी–10 / अ.सा.1 / 10.05.22	तलाशी पंचनामा
11	प्र.पी–11 / अ.सा.1 / 10.05.22	नजरी नक्शा
12	प्र.पी–12 / अ.सा.1 / 10.05.22	जप्ती पत्रक
13	प्र.पी–13 / अ.सा.1 / 10.05.22	निशादेही पंचनामा
14	प्र.पी–14 / अ.सा.1 / 10.05.22	नजरी नक्शा
15	प्र.पी–15 / अ.सा.1 / 10.05.22	नापतौल का नक्शा
16	प्र.पी–16 / अ.सा.1 / 10.05.22	सीलबंद करने का पंचनामा
17	प्र.पी–17 / अ.सा.1 / 10.05.22	पंचनामा
18	प्र.पी–18 / अ.सा.1 / 10.05.22	आरोपी मोहर सिंह का गिर0पंच0
19	प्र.पी–19 / अ.सा.1 / 10.05.22	आरोपी बागरूनाथ का गिर0पंच0
20	प्र.पी–20 / अ.सा.1 / 10.05.22	आरोपी बागरूनाथ के कथन
21	प्र.पी–21 / अ.सा.1 / 10.05.222	आरोपी मोहर सिंह के कथन
22	प्र.पी–22 / अ.सा.1 / 10.05.22	आरोपीगण की फोटो शिनाख्ती पंचनामा
23	प्र.पी–23 / अ.सा.1 / 10.05.22	आरोपीगण की फोटो शिनाख्ती पंचनामा
24	प्र.पी–24 / अ.सा.1 / 10.05.22	सीलबंद करने का पंचनामा
25	प्र.पी–25 / अ.सा.1 / 10.05.22	शव परीक्षण करने का पंचनामा
26	प्र.पी–26 / अ.सा.1 / 10.05.22	शवदाह का पंचनामा
27	प्र.पी–27 / अ.सा.1 / 10.05.22	रसीद
28	प्र.पी–28 / अ.सा.1 / 10.05.22	साक्षी दिलीप सिंह पटेलिया के कथन
29	प्र.पी–29 / अ.सा.2 / 10.05.22	साक्षी प्रदीप के कथन
30	प्र.पी–30 / अ.सा.2 / 10.05.22	आरोपी बागरूनाथ के कथन

Cont. Page No. 4

31	प्र.पी–31 / अ.सा.2 / 10.05.22	आरोपी मोहर सिंह के कथन
32	प्र.पी–32 / अ.सा.6 / 07.06.222	वन्य प्राणी के अवयवों एवं तेंदुएं के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया सेम्पल
33	प्र.पी–33 / अ.सा.6 / 07.06.22	वन्य प्राणी के अवयवों एवं तेंदुएं के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया सेम्पल
34	प्र.पी–34 / अ.सा.6 / 07.06.22	एफ.एस.एल. को भेजा पत्र
35	प्र.पी–35 / अ.सा.6 / 07.06.22	पशु चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट
36	प्र.पी–36 / अ.सा.6 / 07.06.22	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को लिखा पत्र
37	प्र.पी–37 / अ.सा.6 / 07.06.22	नक्शे की कापी प्राप्ति का पत्र
38	प्र.पी–38 / अ.सा.6 / 07.06.22	साक्षी मुकेश कुमार पटेल के कथन

बचाव पक्ष के प्रदर्श

सरल क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

अन्य जप्तशुदा वस्तुएं / आर्टिकल

सरल क्रमांक	आर्टिकल संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए–1 लगायत आर्टिकल ए–22 / अ.सा.3 / 24.05.2022	जप्तशुदा सम्पत्तियां
2	आर्टिकल ए–23 लगायत आर्टिकल ए–24 / अ.सा.5 / 07.06.2022	जप्तशुदा सम्पत्तियां

01. अभियुक्तगण बागरूनाथ एवं मोहर सिंह के विरूद्ध 'धारा–**9 / 51, 44, 49, 48ए** वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित, 2006) के अधीन आरोप इस प्रकार है कि उन्होंने दिनॉक 04.02.2022 को टाइगर स्ट्राइक फोर्स,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नर्मदापुरम

नर्मदापुरम के कोर एरिया में अनुसूची–I के अनुक्रमांक–16(B) पर अंकित तेंदुआ एवं अनुसूची–III के अनुक्रमांक–19 पर अंकित जंगली सुअर, अनुसूची– IV के अनुक्रमांक–4(E) पर अंकित सेही का अवैध शिकार किया, इसी दिनॉक, समय एवं स्थान पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया में अनुसूची–I पर अंकित तेंदुए का चमड़ा एवं वन्यप्राणियों के अन्य अवयवों को मोटरसाईकिल टी.व्ही.एस. स्पोर्ट्स से अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया एवं इसी दिनॉक, समय एवं स्थान पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया से शिकार किए गए वन्यप्राणी के मांस के टुकड़े 4 नग, वन्यप्राणी तेन्दुएं के शिकार में प्रयुक्त होने वाले लैग होल्ड ट्रैप 02 नग, बल्लम एवं ग्राम कांकरखेड़ी से लगे राजस्व क्षेत्र के नाले से वन्यप्राणी तेन्दुए की खाल जप्त की गई।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03(i). अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनॉक 04.02.20.22 को मुखबिर की सूचना पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल एवं टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम की संयुक्त टीम बैरसिया–सिरोंज मार्ग पर ग्राम भरनाखेड़ा आई, जहां पर नवनिर्मित अस्पताल भवन के सामने मुखबिर के बताए अनुसार हुलिये के 02 व्यक्ति मोटरसाईकिल जिस पर गाड़ी का नंबर अंकित नहीं था, सिरोंज की ओर से आते हुए दिखाई दिये। संयुक्त टीम के द्वारा उन्हें रोका गया। मोटरसाईकिल काले लाल रंग की टी.व्ही.एस. स्पोर्ट थी, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी। उक्त मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे। जिनमें पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में एक सफेद रंग का मटमैला प्लास्टिक का कट्टा (थैला) था। उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई। मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बागरूनाथ वल्द प्यारानाथ बताया। बागरू से कट्टे के बारे में पूछताछ की जाकर उसे खोलने के लिए कहा गया। कट्टे में से वन्यप्राणी तेन्दुए की खाल 01 नग व चाकू लोहे का 01 नग, रखे पाये गए। तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई, तब उसकी पेन्ट की जेब से वन्यप्राणी तेन्दुएं का पंजा 01 नग, मिला। उसके बाद मोहरसिंह की तलाशी ली गई, तो उसकी पेंट की जेब में एक नारंगी रंग की थैली मिली, जिसमें जंगली सुअर के 04 नग, दूसरे जेब से वन्यप्राणी तेंदुए के पंजे 02 नग, मोबाइल दो सिम सहित 1 नग जप्त

Cont. Page No. 6

किए गए एवं वन्यप्राणी अवयवों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाये जाने पर मोटरसाईकिल टी.व्ही.एस. स्पोर्ट्स भी मौके पर जप्त की गई।

03(ii).उक्त के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा–संशोधित 2006) की धारा 9, 39, 44, 48ए, 49बी, 51 एवं 52 के तहत् वन अपराध प्रकरण क0 237/03 दिनॉक 04.02.2022 कायम कर पी.ओ.आर. प्रदर्श **पी–6** काटा गया। दिनॉक 05.02.20222 को आरोपी बागरूनाथ के मेमोरेंडम कथन लिये गये। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर वन्यप्राणी के मांस के 04 टुकड़े, वन्यप्राणी सेही के कांटे 28 नग एवं वन्यप्राणी बाघ/तेन्दुए के शिकार में प्रयुक्त होने वाले लेग होल्ड ट्रेप 02 नग एवं बल्लम सब्बल डंडे सहित 03 नग, सब्बल डंडा सहित 01 नग, अवैध रूप से पाये जाने पर विधिवत् जप्त किया गया। उसके पश्चात् आरोपी बागरूनाथ की निशानदेही पर उसके बताए अनुसार घटना स्थल ग्राम कांकरखेड़ी राजस्व क्षेत्र के अंदर नाले से मिट्टी एवं पत्थर हआकर वन्यप्राणी तेन्दुएं का खाल विहिन शव मय अस्थिपंजर के बाहर निकालकर विधिवत् जप्त किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए।

03(iii). दिनॉक 04.02.2022 एवं 05.02.2022 को जप्त वन्यप्राणी अवयवों, वन्यप्राणी के दांत, वन्यप्राणी के कांटे, वन्यप्राणी का मांस, लंग्स के टुकड़े एवं वन्यप्राणी की जीभ को सीलबंद कर वैज्ञानिक/फॉरेन्सिक जांच हेतु एफएसएल. जबलपुर भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा–संशोधित 2006) की धारा 9, 39, 44, 48ए, 49बी, 51 एवं 52 के तहत् वन अपराध प्रकरण क0 237/03 दिनॉक 04.02.2022, के अंतर्गत परिवाद पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. मेरे द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2006) की 'धारा–9/51, 44, 49, 48ए के अंतर्गत् आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर, अभियुक्तगण ने जुर्म अस्वीकार कर, विचारण चाहा, तदनुसार उनका अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दं0प्र0सं0 के अधीन किये जाने पर बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना व्यक्त करते हुए उन्होंने बचाव लिया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

Cont. Page No. 7

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

05. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.1), प्रदीप यादव (अ.सा.2), रवि शर्मा (अ.सा.3), जितेन्द्र बंसल (अ.सा.4), राजू सिंह राजपूत (अ.सा.5), मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.6), संदेश माहेश्वरी (अ.सा.7) एवं डॉ0 गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.8) को परीक्षित कराया है। बचाव पक्ष की ओर से किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

06. प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न है :–

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनॉक 04.02.2022 को टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया में अनुसूची–I के अनुक्रमांक–16(B) पर अंकित तेंदुआ एवं अनुसूची–III के अनुक्रमांक–19 पर अंकित जंगली सुअर, अनुसूची– IV के अनुक्रमांक–4(E) पर अंकित सेही का अवैध शिकार किया ?

2. क्या अभियुक्तगण द्वारा इसी दिनॉक, समय एवं स्थान पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया में अनुसूची–I पर अंकित तेंदुए का चमड़ा एवं वन्यप्राणियों के अन्य अवयवों को मोटरसाईकिल टी.व्ही.एस. स्पोर्ट्स से अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया ?

3. क्या अभियुक्तगण द्वारा इसी दिनॉक, समय एवं स्थान पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया से शिकार किए गए वन्यप्राणी के मांस के टुकड़े 4 नग, वन्यप्राणी तेन्दुएं के शिकार में प्रयुक्त होने वाले लैग होल्ड ट्रैप 02 नग, बल्लम एवं ग्राम कांकरखेड़ी से लगे राजस्व क्षेत्र के नाले से वन्यप्राणी तेन्दुए की खाल जप्त की गई ?

–: विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार :–

विचारणीय प्रश्न कमांक–1 लगायत 3 के संबंध में

07. सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य में आए दोहराव से बचने के लिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

Cont. Page No. 8

प्रीति वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

08. उक्त बिंदु पर साक्षी साक्षी राजू सिंह राजपूत (अ.सा.5) ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 04.02.2022 को टाईगर स्ट्राईक फोर्स, नर्मदापुरम में प्रभारी अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनॉक को मुखबिर की सूचना मिलने पर वे लोग होशंगाबाद के टाइगर स्ट्राईक फोर्स, के साथ 06 लोग ग्राम भरनाखेड़ा–बैरसिया से सिंरोज मार्ग पर पहुँचे थे। वे लोग वहां पर नवनिर्मित अस्पताल के पास वे लोग रूक गये थे। मुखबिर के बताये अनुसावर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आये, जिन्हें रोका गया। मोटरसाईकिल पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। मोटर साईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में एक सफेद रंग का मटमैला प्लास्टिक का थैला था। उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बागरूनाथ निवासी कांकरखेड़ी का बताया था। मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम मोहर सिंह ग्राम सेमराखुर्द बताया था। बागरू से कट्टे के बारे में पूछा था और उसे खोलकर दिखाने को कहा था तो थैले के अंदर से एक नग तेन्दुएं की खाल, एक नग लोहे का चाकू मिला था। आरोपी बागरूनाथ की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से एक तेन्दुए का पंजा मिला था। बागरूनाथ की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से एक नग तेन्दुए का पंजा मिला था। अभियुक्त मोहर सिंह की तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक नारंगी रंग की थैली मिली थी, जिसमें जंगली सुअर के चार दांत दिखे थे, दूसरी जेब में तेन्दुएं के दो नग कटे पंजे मिले थे। सभी सामानों को एवं काले–लाल रंग की मोटरसाईकिल को चिन्हित कर जप्त किया था। मौके पर दिलीप सिंह ने मौका पंचनामा बनाया था। पंचनामा प्रदर्श पी–3 पर ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

09. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.5) ने यह भी कथन किये है कि उसके समक्ष दिलीप सिंह पटेलिया ने तेंदुए की खाल को नाप कर उसका नजरी नक्शा तैयार किया था, नजरी नक्शा प्रदर्श पी.05 पर डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 05.02.22 को अभियुक्त बागरूनाथ की निशानदेही पर ग्राम कांकरखेडी में उसके घर पर तलाशी हेतु गये थे, जहां उसके घर से वन्यप्राणी के मांस के टुकड़े 04 नग, सेई के कांटे 28 नग, शिकार में प्रयुक्त लेग होल्डर 02 नग, बल्लम एवं सब्बल सहित डंडे 03 नग, सब्बल सहित डंडा 01 नग जप्त किये थे। उसके समक्ष मुकेश पटेल के द्वारा मौका पंचनामा प्रदर्श पी.10 तैयार किया गया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी बागरूनाथ के बताये अनुसार ग्राम कांकरखेड़ी

Cont. Page No. 9

के राजस्व क्षेत्र में गये थे, जहां अभियुक्त के बताये अनुसार नाले में से वन्य प्राणी तेन्दुए का खाल निकला शव बरामद किया था। मौके पर मुकेश पटेल के द्वारा घटना स्थल का पंचनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी.13 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मुकेश पटेल के द्वारा जप्तशुदा औजार व लेग होल्ड ट्रेप का नापतौलकर उसका मानचित्र तैयार किया था, जो प्रदर्श पी.15 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। औजार को सीलबंद किया था, सीलबंद पंचनामा प्रदर्श पी.16 है, जिसके डी से डी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा अभियुक्त बागरूनाथ एवं मोहरसिंह के कथन लिये गये थे, उनके द्वारा जैसा बताया गया था, वैसा ही कथन लिये थे, कथन प्रदर्श पी.20 एवं 21 पर सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान सहायक वनसंरक्षक के समक्ष अभियुक्तगण के कथन मेरे सामने हुये थे, कथन प्रदर्श पी.30 एवं 31 पर बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

10. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.5) का यह भी कथन है कि उसके द्वारा वन्य प्राणी के अव्ययों को एवं तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम हेतु, सेम्पल तैयार कर सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को भेजा था, जो प्रदर्श पी.30 एवं 31 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा भेजे गये सेम्पल को उसके समक्ष खोलकर फॉरेंसिक लैब भेजने हेतु पुनः सीलबंद किया था, पंचनामा प्रदर्श पी.24 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तेन्दुए के शव का परीक्षण उसके समक्ष किया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी.25 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तेंदुए के शव को माननीय न्यायालय की अनुमति से दिनांक 07.02.2022 को शव दाह किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी.26 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। हैदराबाद एवं जबलपुर को सेम्पल पत्र के माध्यम से भेजे गये थे, पत्र प्रदर्श पी.33 में ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। हैदराबाद को भेजा गया पत्र प्रदर्श पी.27 में बी से बी भाग एवं पत्र प्रदर्श पी.34 में बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पशु चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी.35 है। उसके द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन, जिसका नंबर नहीं था, की जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विदिशा को पत्र लिखकर चाही थी, पत्र प्रदर्श पी.21 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जिस स्थान से तेंदुए का शव नाले से जप्त किया था, उस स्थान का खसरे नक्शें की कॉपी वन परिक्षेत्र अधिकारी सिरोंज से पत्र के माध्यम से चाही थी, पत्र प्रदर्श पी. 37 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

Cont. Page No. 10

है। मेरे द्वारा जप्तशुदा खाल को पहचान कर एक प्रमाण पत्र दिया था, कि जप्तशुदा खाल तेंदुए की खाल है। प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.38 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण की शिनाख्ती एक–दूसरे से उसके समक्ष कराई गई थी, जिसकी फोटो शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी.22 एवं 23 पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त पीओआर. क्र0 237/03 में आरोपी बागरूनाथ वगैरह में सी.सी.एम. व्ही. हैदराबाद की डी.एन.ए. रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसे उसके द्वारा मूल रूप से न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो प्रदर्श पी–39 है।

11. राजू सिंह राजपूत (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पंचनामा प्रदर्श पी–3 में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं रखा है। गांव से उसने साक्षियों को इसलिए नहीं बुलाया, क्योंकि वहां से गांव दूर था। यह सही है कि उन लोगों ने कार्यवाही के समय और किसी मोटरसाईकिल को नहीं रोका। उसने प्रदर्श पी–5 का दस्तावेज उसकी उपस्थिति में दिलीप सिंह पटेलिया से तैयार करवाया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–5 की कार्यवाही कार्यालय में हुई थी, और वहीं उसने अपने हस्ताक्षर किये थे।

12. उक्त साक्षीगण **दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.1)** एवं **प्रदीप यादव (अ.सा.2)** ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये है कि वे दिनॉक 04.02.2022 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल में वनरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनॉक को मुखबिर की सूचना मिलने पर वे लोग होशंगाबाद के टाइगर स्ट्राइक फोर्स के दल के साथ 6 लोग ग्राम भरनाखेड़ा बैरसिया से सिरोंज मार्ग पर पहुॅचे। वहां पर नवनिर्मित अस्पताल के पास सिरोंज की तरफ से एक मोटरसाईकिल आई, जिस पर दो व्यक्ति बैठे थे। पीछे बैठे व्यक्ति के पास प्लास्टिक की बोरी सफेद रंग की थी, उसमें कुछ रखा था। संदेह के आधार पर उक्त दो लोगों को रोका गया और उनसे पूछताछ कर उनकी तलाशी ली गई। मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बागरू बताया और मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम मोहरसिंह बताया। उनकी तलाशी के दौरान बोरी में एक नग तेन्दुए की खाल एवं एक नग लोहे का चाकू मिला। आरोपी बागरू की जामा तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक तेंदुए का पंजा मिला तथा आरोपी मोहरसिंह की तलाशी लेने पर उसके पास से पेंट की जेब से नारंगी रंग की थैली के अंदर से जंगली सुअर के 4 दांत एवं दूसरी जेब में दो तेन्दुए के पंजे मिले। उसके बाद मिली हुई वस्तुओं को मोटरसाईकिल सहित जप्त

Cont. Page No. 11

श्रीमती पी... मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

किया गया। आरोपी बागरू से जप्त उपरोक्त वन्यप्राणी के अवयवों का जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 एवं आरोपी मोहर सिंह से जप्त अवयवों/सामग्री को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 बनाया गया।

13. उक्त साक्षीगण ने आगे अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किए है कि मौके पर गवाहों के समक्ष पंचनामा प्रदर्श पी–3 तैयार किया गया। घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–4 बनाया गया। उसके द्वारा तेन्दुए की खाल का मानचित्र प्रदर्श पी–5 तैयार किया गया। मौके पर ही अपराध पाये जाने पर अपराध क्र0 237/03 का पी.ओ.आर. प्रदर्श पी–6 काटा गया। वनपाल मुकेश पटेल द्वारा उसके सामने आरोपी बागरूनाथ की जामा तलाशी ली गई, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–7 बनाया गया था। उसके सामने आरोपी मोहर सिंह की जामा तलाशी ली गई, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–8 बनाया गया। विवेचना के दौरान दिनॉक 05.02.2022 को बागरूनाथ की निशादेही पर ग्राम काकड़खेड़ी से उसके बताए अनुसार स्थान से वन्यप्राणी के अवयव एवं शिकार में प्रयुक्त सामग्री जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–9 बनाया गया। आरोपी के घर के पीछे की तलाशी ली जाकर तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–10 बनाया गया। ग्राम कांकरखेड़ी में उसके द्वारा आरोपी बागरूनाथ के घर का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–11 तैयार किया गया, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

14. उक्त साक्षी ने आगे अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि दिनॉक 05.02. 2022 को बागरूनाथ की निशादेही पर ग्राम कांकरखेड़ी के राजस्व क्षेत्र में तेंदुए का खाल निकला शव सड़ी गली हालत में उसके द्वारा जप्त किया जाकर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–13 बनाया गया, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। उक्त स्थान का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–14 बनाया गया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। बल्लम और सब्बल का नापतौल उसके समक्ष करके उसका नक्शा प्रदर्श पी–15 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा सामान का उसके समक्ष सीलबंद किया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–16 है, ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। वन्यप्राणी के अवशेष मांस के टुकड़े, सेई के दो नग कांटे सेम्पल फॉरेन्सिक लैब भेजने के लिए सीलबंद किये गये थे, जिसका मौके पर पंचनामा प्रदर्श पी–17 तैयार किया गया था। आरोपी मोहरसिंह एवं बागरूनाथ को उसके समक्ष

Cont. Page No. 12

श्रीमती प्रीत शर्मा कालरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–18 एवं पी–19 बनाया गया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

15. उक्त साक्षी दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.1) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके समक्ष बागरूनाथ एवं मोहर सिंह के कथन क्रमशः प्रदर्श पी–20 एवं प्रदर्श पी–21 उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए थे, जिन पर उनके हस्ताक्षर है। आरोपीगण की फोटो शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी–22 एवं पी–23 उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। दिनॉक 06.02.2022 को डॉक्टर गुरूदत्त शर्मा के द्वारा वन्यप्राणी की खाल एवं अवशेष जांच हेतु लिये गये थे, जिसका सीलबंद खोलने का पंचनामा उसके समक्ष तैयार हुआ था, जो प्रदर्श पी–24 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। इसी दिनांक को डॉ0 गुरूदत्त शर्मा द्वारा तेन्दुए का शव परीक्षण किया गया था एवं सेम्पल लिये गये थे, जिसका पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया गया था, जो प्रदर्श पी–25 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सेम्पलिंग के बाद शेष अवयव को शवदाह का पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी–26 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। वन्यप्राणी के मांस एवं अवयवों को सीसीएमबी हैदराबाद में उसके द्वारा जमा किया गया था, जिसकी रसीद प्रदर्श पी–27 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। घटना के संबंध में रेंजर साहब ने उसके कथन प्रदर्श पी–28 लेखबद्ध किये थे, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

16. उक्त साक्षी दिलीप सिंह पटेलिया (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब आरोपीगण को पकड़ा था, तब हम लोगों ने अपनी तलाशी आरोपीगण को नहीं दी थी, न ही वाहन की तलाशी दी थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उनके विभाग में शेर, तेन्दुएं की खाल, पंजे पूर्व से ही रखे हुए थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जो मोटरसाईकिल जप्त की है, वह किसके नाम पर है। इस बात को भी गलत बताया कि उसके द्वारा इस प्रकरण में कोई जप्तीनामा नहीं बनाया गया। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि वह दिनांक 04.02.22 को ग्राम कांकरखेड़ी नहीं गये। इस बात से भी इंकार किया गया कि आरोपीगण से कोई सामान जप्त नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही प्रतिपरीक्षण में स्थिर रही है।

Cont. Page No. 13

24/10/2023
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

17. साक्षी प्रदीप यादव वनरक्षक (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उनके अधिकारी ने कार्यवाही के समय किसी स्वतंत्र साक्षी को रोककर गवाह नहीं बनाया। उनके अधिकारियों ने सिर्फ आरोपीगण को मोटर साईकिल सहित रोका था। उनके अधिकारी ने आरोपीगण को रोकने के पश्चात् उनसे पूछताछ की थी और उनकी तलाशी ली थी। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपीगण का कोई मेमोरेंडम नहीं लिया गया। आरोपीगण से पूछताछ दूसरे दिन की गई थी। इस बात से इंकार किया कि जप्ती पत्रक कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये है, जो उसके कथन को अविश्वसनीय बनाते हो।

18. रवि शर्मा (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि वह दिनॉक 04.02.22 को स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में वनरक्षक के पद पर पदस्थ रहने के दौरान मुखबिर की सूचना मिलने पर हम लोग होशंगाबाद के टाईगर स्ट्राईक फोर्स दल के साथ 6 लोग ग्राम भरनाखेड़ा बैरसिया से सिरोंज मार्ग पर पहुॅचे, जहां वे लाग नव निर्मित अस्पताल के पास बैठ गये और नजर रखने लगे, तभी सिरोंज तरफ से एक मोटरसाईकिल आई, जिस पर दो लोग बैठे थे। उनमें से पीछे बैठे व्यक्ति के पास प्लास्टिक की बोरी सफेद रंग की थी, उसमें कुछ रखा था। संदेह के आधार पर उन लोगों को रोका गया और पूछताछ कर तलाशी ली। मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बागरूनाथ बताया और मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम मोहरसिंह बताया। तलाशी के दौरान बोरी में एक नग तेंदुए की खाल एवं एक नग लोहे का चाकू मिला। बागरू की जामा तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक तेंदुए का पंजा मिला। फिर मोहरसिंह की तलाशी ली, उसके पास से पेंट की जेब में एक नारंगी रंग की थैली मिली, जिसमें जंगली सुअर के 4 दांत एवं दूसरी जेब में तेंदुए के दो पंजे मिले। उसके बाद मिली हुई वस्तुओं को मोटरसाईकिल सहित जप्त किया था।

19. रवि शर्मा (अ.सा.3) ने यह भी बताया है कि उसके समक्ष दिलीप सिंह पटेलिया वनरक्षक ने बागरू से एक नग तेंदुए की खाल, जप्त की थी। साक्षी को जप्तशुा तेंदुए की खाल खोलकर दिए जाने पर साक्षी ने कहा यह वही खाल है, जो बागरूनाथ से जप्त की थी, जिस पर आर्टिकल ए–1 मार्क किया गया। उसके समक्ष आरोपी बारूनाथ से एक नग तेंदुए का पंजा जप्त किया गया था। साक्षी को जप्तशुद

Cont. Page No. 14

पंजा दिए जाने पर साक्षी ने कहा है कि यह वही पंजा है, जो बागरूनाथ से जप्त की थी, जिस पर आर्टिकल ए–2 मार्क किया गया। आरोपी बागरूनाथ से एक नग लोहे का चाकू जप्त किया था, जिस पर आर्टिकल–3 मार्क किया गया। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर ही दिलीप सिंह पटेलिया ने आरोपी मोहरसिंह से दो नग तेंदुए के पंजे जप्त किये थे। साक्षी को जप्तशुदा तेंदुए का पंजा दिए जाने पर साक्षी ने कहा वह यही पंजा है, जो मोहर सिंह से जप्त किया था, जिस पर आर्टिकल–ए–4 एवं ए–5 मार्क किया गया। उसके समक्ष आरोपी मोहर सिंह से जंगली सुअर के 4 दांत जप्त किये थे। साक्षी को जप्तशुदा जंगली सुअर के दांत 4 नग दिये जाने पर साक्षी ने कहा कि वह यही दांत है, जो मोहर सिंह से जप्त किय गये थे, जिस पर आर्टिकल ए–6 लगायत ए–8 मार्क किया गया। उसके समक्ष आरोपी मोहर सिंह से एक नग नारंगी रंग की पन्नी जप्त की थी। उसके समक्ष आरोपी मोहरसिंह से एक मोबाइल जप्त किया था, जिस पर आर्टिकल ए–9 मार्क किया गया। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 में सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

20. उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि मौके पर गवाहों के समक्ष पंचनामा प्रदर्श पी–3 तैयार किया गया। घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–4 बनाया गया। उसके द्वारा तेन्दुए की खाल का मानचित्र प्रदर्श पी–5 तैयार किया गया। मौके पर ही अपराध पाये जाने पर अपराध क0 237/03 का पी.ओ.आर. प्रदर्श पी–6 काटा गया। वनपाल मुकेश पटेल द्वारा उसके सामने आरोपी बागरूनाथ की जामा तलाशी ली गई, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–7 बनाया गया था। उसके सामने आरोपी मोहर सिंह की जामा तलाशी ली गई, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–8 बनाया गया। विवेचना के दौरान दिनॉक 05.02.2022 को बागरूनाथ की निशादेही पर ग्राम काकड़खेड़ी से उसके बताए अनुसार स्थान से वन्यप्राणी के अवयव एवं शिकार में प्रयुक्त सामग्री जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–9 बनाया गया। आरोपी के घर के पीछे की तलाशी ली जाकर तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–10 बनाया गया। ग्राम कांकरखेड़ी में उसके द्वारा आरोपी बागरूनाथ के घर का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–11 तैयार किया गया, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

21. रवि शर्मा (अ.सा.3) ने आगे अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि उसके समक्ष दिलीप सिंह पटेलिया वनरक्षक द्वारा मौके पर गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार

Cont. Page No. 15

किया था, जो प्रदर्श पी–3 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–4 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर दिलीप सिंह पटेलिया द्वारा तेन्दुए की खाल का मानचित्र प्रदर्श पी–5 तैयार किया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी बागरूनाथ की जामा तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास उसका आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, आधार कार्ड की कलर कॉपी मिली थी, जिसका पंचनामा उसके द्वारा बनाया गया था, जो प्रदर्श पी–7 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मोहर सिंह की भी तलाशी ली गई थी, जिसमें उसके पास से उसका वोटर आई.डी. कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मिला था, जिसका जामा पंचनामा प्रदर्श पी–8 बनाया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

22. उक्त साक्षी ने यह भी कथन किये है कि विवेचना के दौरान दिनॉक 05.02.2022 को बागरूनाथ की निशादेही पर ग्राम काकड़खेड़ी से उसके बताए अनुसार स्थान से वन्यप्राणी के अवयव एवं शिकार में प्रयुक्त सामग्री जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–9 बनाया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। ग्राम कांकरखेड़ी में उसके समक्ष दिलीप सिंह पटेलि द्वारा आरोपी बागरूनाथ के घर का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–11 तैयार किया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनॉक 05.02.2022 को बागरूनाथ की निशादेही पर ग्राम कांकरखेड़ी के राजस्व क्षेत्र में तेंदुए का खाल निकला शव सड़ी गली हालत में उसके समक्ष दिलीप सिंह पटेलिया द्वारा जप्त किया जाकर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–12 बनाया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त स्थान का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–14 बनाया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। बल्लम और सब्बल का नापतौल उसके समक्ष करके उसका नक्शा प्रदर्श पी–15 तैयार किया गय, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को साक्ष्य के दौरान आर्टिकल ए–10 लगायत ए–22 दिखाये जाने पर साक्षी ने कहा है कि वे वही सामग्री है, जो बागरूनाथ के घर से जप्त हुए थे।

23. रवि शर्मा (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह सही है वह वह आरोपीगण को पहले से नहीं जानता था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि किसी की भी कद, काठी बताये जाने पर उसकी पहचान नहीं की जा सकती है।

श्रीमती रीतु वर्मा कर्डारिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

Cont. Page No. 16

उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी मोहर सिंह एवं बागरूनाथ से किसी प्रकार की कोई जप्त नहीं की। इस बात से भी इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण के कोई बयान नहीं लिये गये। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण यह स्वीकार किया है कि मोहर सिंह और बागरूनाथ दोनों अलग– अलग गांव के है। जप्तशुदा मोटरसाईकिल किसके नाम पर थी, वह नहीं बता सकता। इस बात को भी अस्वीकार किया है कि उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई। इस बात से भी इंकार किया है कि जो आर्टिकल जप्त होना बता रहा है, वह जसरथ नाम के व्यक्ति से जप्त हुए थे। इसके अतिरक्त उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये है, जो उसके कथन को अविश्वसनीय बनाते हो।

24. साक्षी जितेन्द्र बंसल (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि वह दिनांक 04.02.2022 को भोपाल स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स में वन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनॉक को होशंगाबाद की संयुक्त टीम के साथ बैरसिया–सिरोंज मार्ग पर आये थे, जहां नवनिर्मित अस्पताल के पास वे लोग रूक गये थे। मुखबिर के बताये अनुसावर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आये, जिन्हें रोका गया। मोटरसाईकिल पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। मोटर साईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में एक सफेद रंग का मटमैला प्लास्टिक का थैला था। उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बागरूनाथ निवासी कांकरखेड़ी का बताया था। मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम मोहर सिंह ग्राम सेमराखुर्द बताया था। बागरू से कट्टे के बारे में पूछा था और उसे खोलकर दिखाने को कहा था तो थैले के अंदर से एक नग तेन्दुएं की खाल, एक नग लोहे का चाकू मिला था। आरोपी बागरूनाथ की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से एक तेन्दुए का पंजा मिला था। बागरूनाथ की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से एक नग तेन्दुए का पंजा मिला था। अभियुक्त मोहर सिंह की तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक नारंगी रंग की थैली मिली थी, जिसमें जंगली सुअर के चार दांत दिखे थे, दूसरी जेब में तेन्दुएं के दो नग कटे पंजे मिले थे। सभी सामानों को एवं काले–लाल रंग की मोटरसाईकिल को चिन्हित कर जप्त किया था। मौके पर दिलीप सिंह ने मौका पंचनामा बनाया था। पंचनामा प्रदर्श पी–3 पर डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

25. उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह भी बताया हे कि दूसरे दिन दिनॉक

Cont. Page No. 17

24/11/2023

05.02.22 को वे लोग अभियुक्त बागरूनाथ के बताए अनुसार उसकी निशादेही पर उसके गांव कांकरखेड़ी, गये थे। अभियुक्त बागरूनाथ के मकान की तलाशी लेने पर पीछे बांगड़ में वन्य प्राणी के मांस के टुकड़े, 28 नग सेही के कांटे, लेग होल्ड ट्रेप 02 नग, 04 डंडों में 03 बल्लम और संबल लगे थे तथा एक डंडे में केवल संबल लगा था। मौके पर मुकेश पटेल द्वारा पंचनामा तैयार किया गया थाा, जो प्रदर्श पी–10 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बागरूनाथ ने उन्हें बताया था कि वन्य प्राणी को उसके घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर जमीन में गड़ा दिया था, जिसकी निशादेही पर जाकर ग्राम कांगरखेड़ी राजस्व क्षेत्र में वन्य प्राणी का खाल निकला शव जो सड़ी अवस्था में था, मिला था, जिसका पंचनामा मुकेश पटैल के द्व ारा उसके समक्ष तैयार किया था। पंचनामा प्रदर्श पी–13 पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा औजारों को उसके समक्ष सीलबंद किया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–16 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष वन्य प्राणी के दांत 4 नग में से 01 नग दांत, मांस के टुकड़े 4 नग, सेही के कांटे 2 नग, फॉरेन्सिक लैब में भेजने हेतु सीलबंद किया था, जिसका पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया था, जो प्रदर्श पी–17 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनॉक 07.02.2022 को न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर तेन्दुए का खाल रहित शव को पंचानों के समक्ष जलाकर नष्ट किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–26 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

26. उक्त साक्षी जितेन्द्र बंसल (अ.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने गांव जाकर किसी भी व्यक्ति को लाकर साक्षी बनाने का प्रयास नहीं किया। यह भी स्वीकार किया कि ग्राम कांकरखेड़ी गांव में सरपंच और कोटवार दोनों है। उन्होंने ग्राम कोटवार और सरपंच को गवाह बनने के लिए नहीं कहा। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि सेही के कांटे और मांस के टुकड़े जसरथ से जप्त हुए थे। इस बात से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण से कोई औजार जप्त नहीं हुए थे। इस बात से भी इंकार किया है कि उसके सामने वन्य प्राणी के दांत, मांस के टुकड़े सीलबंद कर लेब में नहीं भेजे गये। इस बात से भी इंकार किया है कि उसके सामने खाल रहित शव को जलाकर नष्ट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये है, जो उसके कथन को अविश्वसनीय बनाते है।

श्रीमती रीतू वर्मा कर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

Cont. Page No. 18

27. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किये है कि वह दिनांक 04.02.2022 को टाईगर स्ट्राईक फोर्स, नर्मदापुरम में वनपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे प्रभारी अधिकारी राजू सिंह राजपूत ने भोपाल में स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स के ऑफिस में बुलाया था, जहां पर वह पहुँचा था। उसके समक्ष राजसिंह राजपूत ने आरोपी बागरूनाथ एवं मोहर सिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। कथन प्र.पी.–20 एवं 21 पर डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रभारी अधिकारी ने उसके सामने आरोपीगण की फोटो की शिनाख्ती मोहर सिंह की बागरूनाथ और बागरूनाथ की मोहर सिंह से करवायी थी, फोटो शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.–22 एवं 23 पर डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 05.02.2022 को दिलीप सिंह पटेरिया ने उसके सामने बागरूनाथ के घर के बाडे से वन्यप्राणी के मांस के टुकडे 4 नग और सेई के कांटे 28 नग, लेगहोल्ड ट्रेप 2 नग, जिसमें बडे लेगहोल्ड ट्रेप में वन्यप्राणी के बाल लगे हुए थे। बल्लम, सब्बल सहित डंडे 3 नग, सब्बल सहित डंडा एक नग उसके समक्ष जप्त किये थे, जप्तीपत्रक प्र.पी.–9 में डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा कार्यवाही के उपरांत मौका पंचनामा तैयार किया गया था, जो प्र.पी.–10 है, जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिलीप पटेलिया ने राजस्व नाले से वन्यप्राणी तेदुंए का खाल निकला शव बागरूनाथ की निषानदेही पर जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्र.पी. –12 पर डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती उपरांत घटनास्थल का शिनाख्ती पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो प्र.पी.–13 है, जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा भालो, डंडो, लेगहोल्ड ट्रेप, सब्बल का नाप दिलीप पटेलिया द्वारा किया गया था, जिसका मानचित्र उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो प्र.पी.–15 है, जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

28. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.6) ने यह भी बताया है कि मौके पर जप्तशुदा औजारों का सीलबद्ध पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो प्र.पी. –16 है, जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वन्यप्राणी के अवयव को सीलबंद करने का पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो प्र.पी.–17 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपीगणों को मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.–18 एवं 19 में सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वन्यप्राणी के अवयव को जो सीलबंद थे उन्हें पुनः खोलने एवं सीलबंद

Cont. Page No. 19

24/04/2023

करने का पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया गया था, पंचनामा प्र.पी.–24 पर डी से डी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। वन्यप्राणी तेदुंए का शव परीक्षण का पंचनामा आदमगढ डिपो में मेरे द्वारा तैयार किया गया था, पंचनामा प्र.पी.–25 पर डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वन्यप्राणी तेन्दुए के शव को संक्षम अधिकारी के समक्ष जलाकर नष्ट किया गया, जिसका पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया था, जो प्र.पी.–26 है, जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रभारी अधिकारी ने उसके बताए अनुसार उसके कथन लेखबद्ध किये थे, कथन प्र.पी.–38 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

29. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने दोनों आरोपीगण के एक ही बार बयान लिये थे।आरोपीगण की पहचान के पूर्व दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड देखा था। उसके द्वारा आधार कार्ड से आरोपीगण को मिलाकर देखा था। यह सही है कि शिनाख्ती के समय आधार कार्ड जप्त नहीं किये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके सामने कोई वन्यप्राणी का शव जप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये है, जो उसके मुख्यपरीक्षण के कथन को अविश्वसनीय बनाते हो। उक्त साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण में स्थिर रहे है।

30. डॉ0 गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.8) का कथन है कि वह दिनॉक 06.02.22 को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणी चिकित्सक के रूप में पदस्थ था। उक्त दिनांक को टाईगर स्ट्राइक फोर्स की टीम उसके समक्ष वन्यप्राणी की खाल, तीन कटे हुए वन्यप्राणी के पंजे, चार दांत,28 नग सेही के काटे, 4 नग मांस के टुकड़े वन्यप्राणी की पहचान करने के लिए उसके समक्ष लाये थे। उसके द्वारा उक्त सभी चीजों का निर्धारित मापदण्ड अनुसार परीक्षण किया था जो निम्नानुसार है–

1. नमूना कमांक–1 जो वन्यप्राणी की खाल उसके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, उसमें जांच में उसने पाया कि वह खाल तेन्दुए की थी।
2. नमूना कमांक–2 तीन कटे पंजे की जांच करने पर पाया कि तीनों पंजे वन्यप्राणी तेन्दुए के ही थे।
3. चार दांत जो प्रस्तुत हुए थे, परीक्षण करने पर उसने पाया कि वह दांत जंगली सुअर के थे।

Cont. Page No. 20

4. उसके समक्ष 28 काटे प्रस्तुत किये गये। जांच में उसने पाया कि वह वन्यप्राणी सेही के काटे है।

5. उसके समक्ष 4 मांस के टुकड़े प्रस्तुत किये गये, जिनकी पहचान करना संभव नहीं था, इसलिए उसके द्वारा हैदराबाद की प्रयोगशाला में भेजकर मांस की जांच की जांच कर वन्यप्राणी की पहचान करना लेख किया था।

31. उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि जो खाल उसके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, उसमें से 5X5 से.मी. का टुकड़ा डीएनए. जांच हेतु उसके द्वारा निकाला गया था, जिसे फॉरेन्सिक जांच हेतु भेजने का लेख किया था। परीक्षण उपरांत सभी वन्यप्राणी के अवयव उसने टीम को वापस कर दिये थे। उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी–35 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जो दांत उसके समक्ष लाये गये थे, उनकी जांच करके यह नहीं बताया जा सकता कि उस वन्यप्राणी की उम्र क्या होगी, स्वतः में बताया कि वयस्क वन्यप्राणी की दांत थे, जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष से ऊपर होगी। जो पंजे उसके समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत हुए थे, उस वन्यप्राणी की उम्र लगभग डेढ़ वर्ष की रही होगी। यह सही है कि दांत और पंजे अलग–अलग वन्यप्राणी के थे।

32. संदेश माहेश्वरी (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किये है कि वह दिनांक 06.02.22 को सहायक संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सोहागपुर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वनक्षेत्रपाल के समक्ष आरोपीगण बागरूनाथ एवं आरोपी मोहर सिंह को लेकर धारा 50(8) के अंतर्गत कथन लेखबद्ध करवाने हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत किया था। उसने आरोपीगण से घटना के संबंध में पूछताछ कर उनके कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी बागरूनाथ के कथन प्रदर्श पी–30 के सी से सी भाग एवं मोहर सिंह के कथन प्रदर्श पी–31 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर विवेचना अधिकारी क समक्ष उपस्थित हुए थे। यह सही है कि कथनों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कथन उसके निर्देशन में टंकित किये गये। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी बागरूनाथ एवं मोहरसिंह ने उसे उनके द्वारा तेन्दुए को मारना और उसके पंजे काटना एवं उसका परिवहन करने वाली बात नहीं बताई थी।

Cont. Page No. 21

33. आरोपीगण के विरूद्ध टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया में अनुसूची–I के अनुक्रमांक–16(B) पर अंकित तेंदुआ एवं अनुसूची–III के अनुक्रमांक–19 पर अंकित जंगली सुअर, अनुसूची–IV के अनुक्रमांक–4(E) पर अंकित सेही का अवैध शिकार करने एवं कोर एरिया से शिकार किए गए वन्यप्राणी के मांस के टुकड़े 4 नग, वन्यप्राणी तेन्दुएं के शिकार में प्रयुक्त होने वाले लैग होल्ड ट्रैप 02 नग, बल्लम एवं ग्राम कांकरखेड़ी से लगे राजस्व क्षेत्र के नाले से वन्यप्राणी तेन्दुए की खाल जप्त की गई।

34. वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18–क के प्रावधानों के अंतर्गत ''जब राज्य सरकार धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन उस उपधारा के अधीन किसी आरक्षित वन या राज्यक्षेत्रीय जल क्षेत्र के अंतर्गत न आने वाले किसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में गठित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है, तब धारा 27 से धारा–33क के उपबंध तत्काल प्रभावी होंगे।'' वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38(फ)(v) के प्रावधानों के अंतर्गत–

(1) ''राज्य सरकार, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षिति के रूप में अधिसूचित करेगी।

(2) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 30, धारा 32 तथा धारा 33 के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उपबंध यथाशक्य व्याघ्र आरक्षिति के संबंध में लागू होंगे, जैसे वे किसी अभ्यारण्य को लागे होते हैं। ''

35. उक्त प्रावधानों के अंतर्गत वाईल्ड लाईफ सेन्चूरी धारा 38(फ) के प्रावधानों के अंतर्गत सतपुड़ा टाईगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है। आरोपीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया है कि गेमरेंज अधिकारी राजू सिंह राजपूत (अ.सा.5) को उक्त अधिनियम की शक्तियों के अंतर्गत परिवाद पेश करने की अधिकारिता नहीं है। वह परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उक्त संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55(ग) के अंतर्गत गेमरेंज अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क. एफ–15–29–2001–X–2, दिनांक 22.01.2002 के द्वारा धारा 55(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी रेंज आफिसर को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है। अतः आरोपीगण की ओर से दिया गया तर्क मान्य योग्य नहीं है।

Cont. Page No. 22

(श्रीमती रीतु वर्मा कड़ी...) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

36. इस संबंध में अभियुक्तगण द्वारा साक्षीगण के समक्ष कथन किये गये, संस्वीकृत कथन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त एकल संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। उक्त अधिनियम में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–50 की उपधारा–8 एवं 9 अवलोकनीय है। धारा–50 की उपधारा–8 के अनुसार– "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अधिकारी वन प्राणी परिरक्षण के सहायक संचालक या (इस बारे में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी) इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरूद्ध किसी अपराध में अन्वेषण करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शक्तियां रखेंगे–

"(ए) तलाशी वारंट जारी करना,
(बी) गवाहन की हाजरी कराने पर बल देना,
(सी) दस्तावेजों और महत्वपूर्ण वस्तुओं की खोज करने और उन्हें पेश करने पर विवश करना और
(डी) साक्ष्य को ग्रहण करना तथा अभिलिखित करना।"

37. धारा–50 की उपधारा–9 के प्रावधानों के अंतर्गत "उपधारा–8 के क्लॉज–डी में अभिलिखित की गई कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य होगी, परंतु यह कि उसे अभियुक्त के समक्ष लिया गया हो।" इस प्रकार अधिनियम की धारा–50 की उपधारा–8 एवं 9 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि एसीएफ रेंक का वन अधिकारी का कोई साक्ष्य ग्राह्य करती है अथवा अभिलिखित करता है तो उक्त साक्ष्य को धारा–9 के अंतर्गत अन्य पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य किया जा सकता है।

38. धारा–50(8) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार सहायक संचालक वन्य प्राणी संरक्षण या अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक अनिम्न पद का न हो, और जिसे राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया है, साक्ष्य ले सकता है और अभिलिखित कर सकता है।

39. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा की गई संस्वीकृति लिखित है, जो सक्षम वन अधिकारी के द्वारा दर्ज की गई, उस पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर भी

Cont. Page No. 23

लिये गये है और उक्त संस्वीकृतिजन्य पत्रों के बारे में सक्षम वन अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है, उस पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर भी लिये गये है, और उक्त संस्वीकृतिजन्य कथनों के बारे में सक्षम वन अधिकारी संदेश माहेश्वरी अ.सा.7 एवं राजूसिंह राजपूत अ.सा.5 के समक्ष लेखबद्ध किया जाना बताया गया है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी प्रतिरक्षा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त संस्वीकृति किसी धमकी, वचन और उत्प्रेरणा के अधीन की गयी हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के उक्त संस्वीकृति कथन साक्ष्य में सुसंगत होकर प्रकरण में ग्राह्य किये जाने योग्य है।

40. प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श पी–39 की सीएसआईआर–कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद से प्राप्त डी.एन.ए. रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि "It is concluded that exhibits WL-5749, WL-5750 and WL-5751 are from a single male leopard."

41. वन्य जीव या वनो के प्रति अपराध सामान्यतः मध्य रात्रि में एवं एकांत में ही सम्पन्न होते है, ऐसी दशा में वन्य या वन जीव के प्रति होने वाले अपराध के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्षी मिलेगा इसकी संभावना न के बराबर होती है। किसी मानव के प्रति अपराध को या कोई मानव गायब हो या न मिले तब स्वयं अथवा उसके इष्ट मित्र, रिश्तेदार या परिचित अपराध की सूचना थाने में दे सकते है, परंतु वन्य जीव वन्य प्राणी के रहवास को नष्ट करने के संबंध में अपराध होने या वन्य जीव के गायब होने पर उसकी सूचना कोई वन्य प्राणी नहीं दे सकता है। तथा उसकी जानकारी सामानयतः अपराध होने के पश्चात् ही प्राप्त होगी। वन्य जीव अधिनियम में संभवतः एसीएफ या उससे वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति का साक्ष्यिक महत्व व प्रावधान किया गया है।

42. अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति कथन वन अधिकारी वन विभाग के समक्ष दिये गये है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है। इस संबंध में माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **फारेस्ट रेंज आफिसर चुंगाधारा रेंज वि0 अप्पू बकर एवं अन्य 1989 क्रिमिनल ला जर्नल 2038** अवलोकनीय है।इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''वन विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में फारेस्ट आफिसर पर विनिर्दिष्ट संदर्भों में केवल पुलिस

Cont. Page No. 24

अधिकारी के पॉवर दिए गए है तथा पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां नहीं दी गई है। इसलिए उनके समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति से धारा 25 साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगी और धारा 25 साक्ष्य अधिनियम बाधक नहीं बनेगी।''

43. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वे निर्दोष है। उन्हें झूठा फसाया गया है। अभियुक्तगण को झूठा फसाये जाने का कोई आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। गश्तीदल वन विभाग के सभी सदस्य शासकीय कर्मचारी, अधिकारी है। उनकी अभियुक्तगण से कोई रंजिश प्रमाणित नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन में कार्य किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण को झूठा फसाया गया है।

44. वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–9 यह उपबंधित करती है कि ''कोई व्यक्ति कोई वन्य प्राणी तथा शेड्यूल I,II,III एवं IV में सम्मिलित है, अधिनियम 11, 12 के प्रावधानों को छोड़कर शिकार नहीं करेगा, केवल उपधारा–5 के अनुसार प्रदत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और उसके अनुसार ही करेगा। उक्त अधिनियम की धारा–27 अभ्यारण्य में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है।

45. आरोपीगण की ओर से तर्क के दौरान व्यक्त किया गया है कि उक्त आरोपीगण से कोई भी वन्यप्राणी की खाल एवं अवयवों की जप्त नहीं हुई है। आरोपीगण टाईगर स्ट्राइक फोर्स होशंगाबाद के कोर एरिया में अनुसूची–I के अनुक्रमांक–16(बी) पर अंकित तेन्दुआ एवं अनुसूची–III के अनुक्रमांक–19 पर अंकित जंगली सुअर, अनुसूची–IV के अनुक्रमांक–4(ई) पर अंकित सेही का अवैध शिकार करने का आरोप है। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपीगण बिना अनुज्ञप्ति के टाईगर स्ट्राइक फोर्स, होशंगाबाद के कोर एरिया में अवैध रूप से प्रवेश कर तेन्दुआ, जंगली सुअर एवं सेही का शिकार किया गया है, जो आरोपीगण के आधिपत्य से वन्यप्राणी के अवयव की जप्ती की गई है। अतः आरोपीगण का तर्क अमान्य किया जाता है।

46. वर्तमान प्रकरण में वन्यजीव एवं उनके अवयवों के संबंध में किए गए अपराध में सह अभियुक्तगण द्वारा की गयी न्यायिक संस्वीकृतियां के आधार पर दोषसिद्ध की जा सकती है। वन्य जीव अपराधों के संबंध में वन्य जीव संरक्षण

Cont. Page No. 25

अधिनियम की धारा 50(8)(डी) के अंतर्गत रिसीव एण्ड रिकार्ड एवीडेंस न्यायकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धी अभिलिखित की जा सकती है।

47. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर, अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनॉक 04.02.2022 को टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया में अनुसूची–I के अनुक्रमांक–16(B) पर अंकित तेंदुआ एवं अनुसूची–III के अनुक्रमांक–19 पर अंकित जंगली सुअर, अनुसूची– IV के अनुक्रमांक–4(E) पर अंकित सेही का अवैध शिकार किया, इसी दिनॉक, समय एवं स्थान पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया में अनुसूची–I पर अंकित तेंदुए का चमड़ा एवं वन्यप्राणियों के अन्य अवयवों को मोटरसाईकिल टी.व्ही.एस. स्पोर्ट्स से अवैध व्यापार बिना अनुज्ञप्ति के किया एवं इसी दिनॉक, समय एवं स्थान पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया से शिकार किए गए वन्यप्राणी के मांस के टुकड़े 4 नग, वन्यप्राणी तेन्दुएं के शिकार में प्रयुक्त होने वाले लैग होल्ड ट्रैप 02 नग, बल्लम एवं ग्राम कांकरखेड़ी से लगे राजस्व क्षेत्र के नाले से वन्यप्राणी तेन्दुए की खाल जप्त की गई।

48. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण बागरूनाथ एवं मोहर सिंह को 'धारा– **9/51, 44, 49, 48ए** वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित, 2006)' के आरोपित आरोप के अंतर्गत दोषी पाते हुए **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है कारित अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

49. अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

24/10/2023

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

पुनश्चः–

50. अभियुक्तगण व अभियोजन को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि वे गरीब परिस्थिति के व्यक्ति है। वे वर्ष

Cont. Page No. 26

2022 से विचारण का सामना कर रहे हैं। उनका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण आदतन अपराधी नहीं है। उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। अतः उनके प्रति सद्भावना दिखाई जाये एवं कम से कम सजा से दण्डित किया जावें। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया।

51. प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा टाइगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के कोर एरिया में अनुसूची–I के अनुक्रमांक–16(B) पर अंकित तेंदुआ एवं अनुसूची–III के अनुक्रमांक–19 पर अंकित जंगली सुअर, अनुसूची– IV के अनुक्रमांक–4(E) पर अंकित सेही का अवैध शिकार किया तथा कोर एरिया से शिकार किए गए वन्यप्राणी के मांस के टुकड़े 4 नग, वन्यप्राणी तेन्दुएं के शिकार में प्रयुक्त होने वाले लैग होल्ड ट्रैप 02 नग, बल्लम एवं ग्राम कांकरखेड़ी से लगे राजस्व क्षेत्र के नाले से वन्यप्राणी तेन्दुए की खाल जप्त की गई। अतः प्रकरण की परिस्थिति और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा विधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

52. अतः प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में अभियुक्तगण बागरूनाथ एवं मोहर सिंह को 'धारा–**9/51, 44, 49, 48ए** वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित, 2006) के अधीन **05–05 वर्ष का सश्रम कारावास** तथा **50,000–50,000/– रूपए (पचास– पचास हजार रूपये)** से दंडित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, प्रत्येक अभियुक्तगण को 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास पृथक से भुगतायी जावें।

53. आरोपीगण बागरूनाथ एवं मोहर सिंह दिनॉक 06.02.2022 से आज दिनॉक 24.01.2023 तक निरंतर अर्थात् कुल **352** दिन अभिरक्षा में रहे है। आरोपीगण की उक्त संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण–पत्र प्रकरण में संलग्न किया जावें तथा उक्त अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे। प्रमाण–पत्र निर्णय का भाग रहेगा।

54. अभियुक्तगण अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण का सजा वारंट मय धारा 428 दप्रसं0 के प्रमाण–पत्र के तैयार किया जाकर उसे सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल, नर्मदापुरम भेजा जावे।

24/01/2023

Cont. Page No. 27

55. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल टी.व्ही.एस. स्पोर्ट्स चेचिस नं0 एमडी625सीके23एम1के01104 सुपुर्दनामा पर है। अतः सुपुर्दगीनामा उक्त वाहन के वास्तविक मूल स्वामी के पक्ष में उन्मोचित किये जाते है। प्रकरण में जप्तशुदा चाकू, प्लास्टिक की बोरी, नारंगी कलर की पन्नी, बल्लम, सब्बल एवं लैग होल्ड ट्रैप (फंदे) मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा वन्यप्राणी के अवयवों को अपील अवधि पश्चात् वन विभाग टाईगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम के सुपुर्द किये जावे। प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल दो सिम सहित के संबंध में आरोपीगण की ओर से कोई क्लेम नहीं किया गया है, अतः उक्त मोबाइल बिल प्रस्तुत करने पर उसके वास्तविक स्वामी को अपील अवधि पश्चात् वापस लौटाया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

56. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

24/01/2023

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया,

24/01/2023

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

दिनाँक–24 जनवरी, 2023
स्थानः–नर्मदापुरम, म0प्र0

REETU VERMA

Digitally signed by REETU VERMA
Date: 2023.01.25 12:32:04 +0530

Cont. Page No. 28